He Gazette of India

'असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1840] No. 1840] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2009/कार्तिक 15, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2009/KARTIKA 15, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2009

का.आ. 2851(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 जुलाई, 2009 में सं. का.आ. 1800(अ) तारीख 21 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (5) और उससे संबंधित प्रविष्टि "भारतीय रिजर्व बैंक के नामनिर्देशिती" के स्थान पर "श्री पी. विजय भास्कर, मुख्य महाप्रबंधक-भारसाधक, भारतीय रिजर्व बैंक" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1800(अ) तारीख 21 जुलाई, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2009

S.O. 2851(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Corporate Affair, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st July, 2009 vide number S.O. 1800(E) dated 21st July, 2009, namely —

In the said notification, against Serial No. (5), for the entry "Nominee of the Reserve Bank of India", the entry "Shri P. Vijay Bhaskar, Chief General Manager-in-charge, Reserve Bank of India" shall be substituted.

[F. No. 1/5/2001-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 1800(E) dated 21st July, 2009.